प्रेस विज्ञप्ति

28.04.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने भारतमाला योजना के तहत रायपुर-विशाखापत्तनम राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की अवैध प्राप्ति के संबंध में 28.04.2026 को छत्तीसगढ़ राज्य के अभनपुर, रायपुर, धमतारी और कुरुद में स्थित 8 परिसरों पर पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 66.9 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 37.13 किलोग्राम वजनी चांदी की ईंटें और अन्य चांदी की वस्तुएं, डिजिटल उपकरण और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।

ईडी ने रायपुर स्थित एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा निर्भय साहू, तत्कालीन एसडीओ (राजस्व), अभानपुर, रायपुर और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि रायपुर-विशाखापत्तनम राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित सरकारी भूमि अभिलेखों में हेराफेरी और जालसाजी करके आरोपियों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत से अवैध मुआवजा प्राप्त किया था।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपियों ने कुछ लोक सेवकों और अन्य व्यक्तियों के साथ आपराधिक साजिश रचकर, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत एनएचएआई, रायपुर द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद भी जानबूझकर भूमि का स्वामित्व हस्तांतरित करके और धारा 3डी के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले कई छोटे-छोटे भूमि जोत बनाकर धोखाधड़ी से अधिक मुआवजा प्राप्त किया। आगे यह भी पता चला कि संशोधित/हेरफेर किए गए खसरा रिकॉर्ड के आधार पर मुआवज़ा स्वीकृत और वितरित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मुआवज़े की राशि बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई। इस प्रकार प्राप्त अतिरिक्त मुआवज़ा अपराध की आय है, जिससे सरकारी खजाने को अनुचित नुकसान हुआ है और आरोपियों को इसके अनुरूप अवैध लाभ प्राप्त हुआ है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।